

Not Proved
Rajasthan
S.
4.7.22

04⁰⁷/₂₂ आज पत्रावली पेश हुई। वकील
उपरो। वकील वादी द्वारा निवेदन किया की।
पुकरण में पत्रकारों का राजीनामा हो गया
है इसलिए वादपत्र का नोट प्रेस में खारिज
करने हेतु निवेदन किया है पत्रावली को
दबलोकन किया गया। वकील वादी की
जद्वस सुनी गयी और भगत किया गया।
पुकरण में पत्रकारों का राजीनामा होने
से पत्रावली को आगे चलाने का
न्यायोचित उतीत नहीं होता है अतः पत्रावली
नोट प्रेस में खारिज की जाती है पत्रावली
के सल सुभार होकर नम्बर से कम है
वाद पूर्ति होकर कार्रवाई दफ्तर में

उपसुपेण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अजमेर) राजग